राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8861/2016

प्रताप सिंह ---याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य --प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री विकास बिजारनिया।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री सरवन कुमार।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

10/05/2024

1. याचिकाकर्ता 03.03.2016 (अनुलग्नक 5) के संचार के साथ संलग्न 25.04.2016 के नोट को रद्द करने की मांग करता है, जिसके अनुसार प्रतिवादियों ने अपनी पत्नी के उपचार पर किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, वह प्रतिवादियों को सभी

चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति ब्याज सहित करने के निर्देश देने की मांग करता है।

2. मामले में दलील दी गई प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, एक पूर्व वरिष्ठ शिक्षक है। वह 31.07.2016 को शहीद विनोद कुमार सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरपालू से सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की पत्नी कैंसर रोगी थी, जिसका इलाज आर्टेमिस अस्पताल, गुड़गांव और जिंदल अस्पताल, हिसार में हुआ था।

2.1 उपचार करवाने के पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के उपचार पर किए गए व्यय की राशि 1,47,201/- रुपए के अपेक्षित बिल, दिनांक 17.12.2015 को प्रधानाचार्य, शहीद विनोद कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हरपालू के समक्ष आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। इन्हें निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को अनुमोदन हेतु भेजा गया।

2.2. चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी ने विवश परिस्थितियों में राज्य के बाहर के अस्पताल से अपना उपचार करवाया था, इसलिए प्रधानाचार्य ने याचिकाकर्ता के चिकित्सा बिलों के लिए अनुमोदन का अनुरोध किया, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा अस्पताल की मान्यता न होने का हवाला देते हुए प्रतिपूर्ति से इनकार कर दिया। इसलिए, यह रिट याचिका है।

3. रिट याचिका के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर के पैरा संख्या 3 में निम्नलिखित रुख अपनाया गया है:

> “3. रिट याचिका के पैरा संख्या 3 में किए गए कथनों को याचिकाकर्ता द्वारा जिस तरह से कहा गया है, उससे इनकार किया जाता है। इस संबंध में, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2008 एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा किए

गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान हैं। याचिकाकर्ता जिसने दशकों तक उत्तरदाता विभाग की सेवा की है, वह इस बहाने से वैधानिक प्रावधानों के प्रति अपनी अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता कि आर्टेमिस अस्पताल, गुड़गांव, गुरु हरिकिशन अस्पताल, दिल्ली और जिंदल अस्पताल, हिसार उसके मूल स्थान-चूरू के नजदीक हैं। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।"

4. इस प्रकार यह बात सामने आती है कि, सैद्धांतिक रूप से याचिकाकर्ता का दावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हरपालू के प्रधानाचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चूरू को भेजा गया था, लेकिन अंततः प्रतिपूर्ति की अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई कि याचिकाकर्ता द्वारा नियमों के अनुसार परिकल्पित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, अर्थात निजी अस्पताल अर्थात आर्टेमिस अस्पताल, गुड़गांव और जिंदल अस्पताल, हिसार में याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा किए गए उपचार के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। 5. याचिकाकर्ता की पत्नी कार्सिनोमा से पीड़ित थी और इस पर कोई विवाद नहीं है। मेरा मानना है कि बीमारी की प्रकृति ऐसी है कि यह किसी भी व्यक्ति को उस अवधि के दौरान पूरी तरह से असमंजस में डाल सकती है जब वह अस्पतालों के चक्कर काट रहा हो। ऐसी चीजों पर विचार करने के लिए समय की कमी और अन्यथा, दूरदर्शिता की कमी के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व अनुमति नहीं ली गई होगी। 6. मेरे विचार से, विभाग को पूर्व स्वीकृति के अभाव में नरम रुख अपनाते हुए इसे पूर्वव्यापी रूप से स्वीकृत करना चाहिए था। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की पत्नी वास्तव में कैंसर से पीड़ित थी। उसका इलाज चल रहा था और अन्य खर्चों

की प्रतिपूर्ति की गई थी, लेकिन केवल इसलिए कि प्रश्नगत खर्च राजस्थान राज्य के बाहर किए गए थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। 7. इस संबंध में, केसरा राम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9571/2008, 23.02.2024 को तय मामले में मेरे द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। तत्काल संदर्भ के लिए, प्रासंगिक होने के नाते नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "7. निजी अस्पताल से आपातकालीन स्थिति में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति की पात्रता के संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के दौरान विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया है, जैसे सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1996) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 336; शोभा देवी चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन राज 2868; थॉमस टी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3749/2006 इस न्यायालय द्वारा पारित।
>
> 8. अब इस न्यायालय में दायर जवाब में बचाव पक्ष की दलीलों पर ध्यान देते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के निजी अस्पताल में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया गया है। हालांकि, सीएमएचओ की ओर से 19.02.2008 को जारी किए गए विवादित नोट/आदेश, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ यहां चुनौती दी गई है, में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके दावे को निजी उपचार के कारण खारिज किया गया है।
>
> 9. XXXXXX

10. मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि विशेष रूप से सुरजीत सिंह (सुप्रा) में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, और जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आत्मरक्षा के अधिकार के संदर्भ में सही रूप से भरोसा किया है, जो एक मौलिक अधिकार है। याचिकाकर्ता का मामला उसमें दिए गए अनुपात द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, कानून में यह स्थापित स्थिति है कि आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा उपचार द्वारा स्वास्थ्य और आत्मरक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के समान है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह अधिकार मौलिक, पवित्र, कीमती और अनुल्लंघनीय है। राज्य कर्मचारियों को किसी आपात स्थिति में जीवन के लिए खतरा होने पर अपने जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार है। तदनुसार, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अपने आत्म-संरक्षण के लिए कदम उठाने का अधिकार है, जिसमें पूर्व मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और/या संबंधित समय पर जीवन के लिए स्पष्ट खतरे के मद्देनजर किसी निजी अस्पताल यानी सोनी अस्पताल, जयपुर में जाने के बजाय सरकारी अस्पताल या अधिकृत अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करना शामिल है। नतीजतन, मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को उसके मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति का लाभ क्यों नहीं दिया जाए।"

8. परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 03.03.2016 के संचार (अनुलग्नक 5) के साथ संलग्न दिनांक

25.04.2016 के आपत्तिजनक नोट को अलग रखा जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे चिकित्सा व्यय की वास्तविकता की पुष्टि होने पर निर्धारित दरों पर नियमों के अनुसार ब्याज सहित प्रतिपूर्ति करें।

9. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।